

28-2-23

पत्रावली पेश हुई/वकील उभय
पक्ष एक गवाह थी
उपस्थित / Ad. द्वारा कार्य
रूपगित होने के
मतः पत्र वली पूर्वदिशा:नुसार दि 18/4/23
को पेश हो।

18 ⁴/₂₃

पत्रावली पेश हुई/वकील उभय
पक्ष एक गवाह थी
उपस्थित / Ad. द्वारा कार्य
रूपगित होने के
मतः पत्र वली पूर्वदिशा:नुसार दि 6.6.23
को पेश हो।

9/5/23

पत्रावली केम्प कोर्ट पारसोली में प्रस्तुत
हुए। प्रकरण में दोनों पक्षों पर आपत्त भयी।
प्रकरण में ज्ञात हुआ कि अन्य उतरण
सं- 22/2021. केसराम बनाम कारामण
बमरत के बयानों को चुका है व किमत
क्षमता को चुका है। इस तथ्य कि
रिपोर्ट तहसीलदार कीमाड़ी द्वारा प्राप्त
हुए। जिसके माध्यम पर एफ प्रकरण में
भव कोई गजवाही बयान नहीं रहनी है।
रतः प्रकरण फिलहाल सुमाए हो गये।
कठली पत्रावली साखिल दफ्तरी

उप न्यायाधीश कारी पद
उप न्यायाधीश, बड़ीसदर



न्यायालय
पर्याप्त मुद्र
तथ्य कार्य
मियाद बा
वाद से सं
गया है-
वाद पत्र मे
सी.पी.सी.
दावे के सा
इस आशय
त कर रहा
है? -हाँ/
बंटवारे के
राज्य सर
दावे के ए
राजस्व भू
कार बनाया
वाद पंजीव
भूमि का वि
वाद ऐसी
गति संपरिव
प्रकरण रा
धान

ताक्षर
14/2
र (रीडर)